सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 389 / 17 निर्णय दिनांकः 04 / 12 / 2017

1.सफी उर्फ सफीक मोहम्मद पुत्र इब्राहित खॉ जाति दमामी(मुसलमान) निवासी मनेरा हाल जैतपुर उपतहसील महाजन, तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1.स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15—01—1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जु

उपस्थितिः—
1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जु के निर्णय दिनांक 15—01—1985 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि अव्यवहारिक व काबिल काश्त नहीं होने के कारण निरस्त कर अन्यत्र आवंटन हेतु इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने भूमिहीन काश्तकार के रूप में पुख्ता आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष वर्ष 1985 में आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलांट के आवेदन पत्र आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15—01—1985 को अपीलांट को 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित करते हुए उसी दिन जरिये लॉटरी

चक 1 आर.एम. के मुरब्बा नम्बर 218/34 के

किला नम्बर 3, 8, 17 व 24 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/35 के किला नम्बर 4 व 5 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 10 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/16 के किला नम्बर 1 ता 3 व 10 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/25 के किला नम्बर 21 व 22 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 219/36 के किला नम्बर 1, 2 व 10 तादादी 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 219/28 के किला नम्बर 10 व 15 तादादी 2 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 218/27 के किला नम्बर 21 तादादी 1 बीघा कुल 6 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 22 बीघा भूमि जो मात्र 14 बीघा कमाण्ड के बराबर होती है का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट को आवंटित उपरोक्त आराजी आस—पास या चिपते हुए ना होकर किसी भी तरह से काबिल काश्त योग्य आराजी नहीं है। अपीलांट को 8 मुरब्बों में अलग—अलग किला नम्बरान् में भूमि आवंटन की गई है जो कतई व्यवहारिक नहीं कही जा सकती। उक्त आराजी किसी भी काश्तकार को भूमिहीन के तौर पर आवंटन योग्य आराजी नहीं थी। फिर भी अदालत मातहत द्वारा भूमि की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना मात्र आवंटन की औपचारिकता पूर्ण करने के उद्वेश्य मात्र से आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट काश्त करके अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा किया गया ऐसा आंवटन किसी भूमिहीन काश्तकार के साथ मखौल उड़ाने जैसा है।

अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष कई बार उपस्थित हुआ लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बे समय तक अपीलांट के आवंटन को दुरूस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपीलस्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य काबिल काश्त भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–01–1985 के विरूद्व अपील दिनांक 21–11–2017 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है।

अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से आराजी जैर का आवंटन किया गया है। चूंकि अपीलांट को भूमिहीन के तौर पर आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–01–1985 के विरूद्व अपील दिनांक 21–11–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो काबिल काश्त भूमि नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अन्य भूमि आवंटन हेतु कथन किया जाता रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आराजी जैर आवंटन पर कोई गौर आज दिनांक तक नहीं किया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् को उपनिवेशन तहसील बज्जु के चक 1 आर. एम. के मुरब्बा नम्बर 218/34 के किला नम्बर 3, 8, 17 व 24 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/35 के किला नम्बर 4

व 5 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/31 के किला नम्बर 1 ता 3 व 10 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/16 के किला नम्बर 1 ता 3 व 10 तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 218/25 के किला नम्बर 21 व 22 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 219/36 के किला नम्बर 1, 2 व 10 तादादी 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 219/28 के किला नम्बर

10 व 15 तादादी 2 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 218/27 के किला नम्बर 21 तादादी 1 बीघा कुल 6 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 22 बीघा भूमि जो मात्र 14 बीघा कमाण्ड के बराबर होती है का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को वादगत् आराजी का आवंटन भूमिहीन के तौर आवंटन सलाहकार समिति की राय पर दिनांक 15–01–1985 को 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित करते हुए उसी दिना जरिये लॉटरी आवंटन किया गया। जबकि अपीलांट को 20 बीघा कमाण्ड भूमि के बजाय अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र 6 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि का इस प्रकार कुल 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। जो कि 14 बीघा कमाण्ड के बराबर होती है। जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था।

(4) प्रकरण में सबसे महत्पवपूर्ण तथ्य यह है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित आराजी जैर जो भूमि अपीलांट को भूमिहीन काश्तकार के रूप मे आवंटित की गई थी, उक्त भूमि आठ मुरब्बों में छोटे–छोटे टुकड़ों के रूप में आवंटित की गई है, तथा उक्त मुरब्बो की भूमि पास–पास या चिपते मुरब्बों की न होकर अन्यत्र मुरब्बों में भिन्न–भिन्न किला नम्बरान् में स्थित भूमि है। जो किसी भी रूप में काबिल काश्त भूमि नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत को अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर किया जाना आवश्यक था कि अपीलांट को करीब 8 मुरब्बों में आराजी जैर का आवंटन किस प्रकार किया जा रहा है, क्या आवंटित भूमि काश्त योग्य रहेगी या नहीं?

(5) अदालत मातहत द्वारा जारी आवंटन आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को भूमिहीन के तौर पर जो 6 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है वह किसी भी तरह से व्यवहारिक आवंटन नहीं कहा जा सकता। नाही उक्त आराजी किसी भी तरह से काबिल काश्त भूमि कही जा सकती है। अदालत मातहत का उक्त आवंटन आदेश एक तरह से आवंटन व न्यायिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाने जैसा कृत्य है। जो किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत मातहत का आवंटन एक अयुक्तियुक्त व अव्यवहारिक आवंटन की श्रेणी का आवंटन है। जिसे कायम रखना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं होगा।

(6) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो किसी भी प्रकार से काबिल काश्त भूमि नहीं कही जा सकती। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या 1 से 6 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–01–1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उसकी पात्रता की जॉच करते हुए विवादरहित व शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि एकल रूप में उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर